

# MADHUPUR NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 901380050623123552

Date : 05-06-2023

प्रभावी : चतुर्थ तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री SHATRUGHAN MANDAL AND CHAMPA DEVI C/O PITAMBAL MANDAL AND HIRALAL MANDAL ,  
मोहल्ला TAHIR MANSION, LORD SINHA ROAD MADHUPUR  
DEOGHAR , 815353  
6200772762

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0090000226000M0 वार्ड सं 9 हुआ है. आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	92.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		92.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा संप्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्लिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.